THE UTTAR PRADESH VRITTI, VYAPAR, AJIVIKA AUR SEVAYOJAN KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1970

(U. P. ACT NO. 24 OF 1970)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika aur Sevayojan Kar (Sanshodhan) Adhiniyam*, 1970.]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar Adhiniyam, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.

Amendment of section 5 of U. P. Act. no. 21 of 1965.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar Adhiniyam, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), *for* the words "three thousand and five hundred rupees", the words "four thousand and two hundred rupees" shall be substituted, and *for* the words "six thousand rupees" the words "seven thousand rupees" shall be substituted.

Insertion of new section 8-A.

3. *After* section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"8-A. *Powers of entry and inspection*—Any officer empowered by the State Government in that behalf may, for the purposes of this Act, inspect, examine and copy any book, document or account maintained, by any person in the ordinary course of his profession, trade or calling or by the principal officer in connection with the persons employed under him, and may for that purpose enter and inspect any office, shop, godown, vessel or vehicle of that person or principal officer, and may also make such enquiries from the said person or principal officer as may be necessary."

Amendment of section 18.

4. In section 18 of the principal Act, *after* the words "or wilfully conceals his liability to such tax," the words "or obstructs or prevents an officer empowered under section 8-A from performing any of the functions specified therein" shall be inserted.

Amendment of section 19.

5. In section 19 of the principal Act,—

(i) *for* the words "three years", the words "four years" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted ; and

(ii) *after* the proviso thereto, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that no order of assessment under this section shall be made for any assessment year after the expiration of four years from the end of such year or after the expiration of one year from the date of service of the notice, whichever is later."

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 7, 1970).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 27, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on June 5, 1970).

(Received the Assent of the Governor on June 10, 1970, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated June 12, 1970).

Insertion of new section 20-A.

6. *After* section 20 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :

"20-A. *Power to set aside an ex parte order*—In any case in which an assessment order is passed *ex parte*, the assessee may apply to the Assessing Authority, within thirty days from the date of service of the order, to set aside such order and re-open the case, and if such authority is satisfied either that the applicant did not receive notice or that he was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, it may set aside the assessment order and re-open the case :

Provided that no such application for setting aside an *ex parte* assessment order shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of the tax admitted to be due, or one-fourth of the tax assessed *ex parte*, whichever is greater."

Substitution of the Schedule.

7. *For* the Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :

"SCHEDULE

Rates of Tax

[SECTION 5(1)]

	Amount of tax Rs.
Where the annual total gross income—	
(1) exceeds Rs.4,200 but does not exceed Rs.5,000	36
(2) exceeds Rs.5,000 but does not exceed Rs.6,000	60
(3) exceeds Rs.6,000 but does not exceed Rs.7,000	84
(4) exceeds Rs.7,000 but does not exceed Rs.8,000	108
(5) exceeds Rs.8,000 but does not exceed Rs.9,000	132
(6) exceeds Rs.9,000 but does not exceed Rs.10,000	176
(7) exceeds Rs.10,000	250"

Repeal of U. P. Ordinance no. 7 of 1970.

8. The Uttar Pradesh Vritti, Vyapar, Ajivika Aur Sevayojan Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 1970, is hereby repealed.

P:UP—A.P. 130 Genl. (Leg.)—1970. 1,848. (M).

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 जून, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 10 जून, 1970 ई० को अनुमतिप्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 जून, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, 1965 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1965 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (3) में शब्द "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "चार हजार दो सौ रुपये" रख दिए जायं, और शब्द "छः हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "सात हजार रुपये" रख दिये जायं।

नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

प्रवेश तथा निरीक्षण करने का अधिकार

"8-क—राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वृत्ति, व्यापार या आजीविका के सामान्य क्रम में, या मुख्य अधिकारी द्वारा अपने अन्तर्गत सेवायोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में, रखे गए किसी पुस्तिका, लेख्य या लेखे का, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि ले सकता है, और इस प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, पात्र या गाड़ी में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और उस व्यक्ति या मुख्य अधिकारी से ऐसी पूछताछ कर सकता है जो आवश्यक हो।"

धारा 18 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द "या ऐसे कर के संबंध में अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाए" के पश्चात् शब्द "या धारा 8-क के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उसमें निर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने में बाधा डाले या रोके" बढ़ा दिये जायं।

धारा 19 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(1) शब्द "तीन वर्षों" के स्थान पर शब्द "चार वर्षों" रख दिए जायं और सदैव से रखे गए समझे जायं; और

(2) उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये, ऐसे वर्ष के अन्त से चार वर्षों की समाप्ति के पश्चात् या नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, नहीं दिया जायेगा।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 27 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

नई धारा 20-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"20-क—किसी मामले में, जिसमें एकतरफा कर-निर्धारण आदेश दिया गया हो, कर-दाता आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश रद्द करने और मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि या तो प्रार्थी को नोटिस नहीं प्राप्त हुई थी या वह पर्याप्त कारणवश निश्चित दिनांक पर उपस्थित नहीं हो सका था, तो वह कर-निर्धारण आदेश रद्द कर सकता है और मामले पर पुनर्विचार कर सकता है :

एकतरफा आदेश को रद्द करने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि एकतरफा कर-निर्धारण आदेश रद्द करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं ग्रहण किया जायगा जब तक कि उसके साथ स्वीकार किए गए देय कर, या एकतरफा निर्धारित कर का एक-चौथाई, इसमें जो भी अधिक हो, के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न दिया गया हो।"

अनुसूची का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

"अनुसूची

[कर की दरें]

[देखें धारा 5(1)]

		कर की धनराशि
यदि वार्षिक कुल सकल आय—		रु०
(1)	4,200 रुपये से अधिक किन्तु 5,000 रुपये से अधिक न हो	36
(2)	5,000 रुपये से अधिक किन्तु 6,000 रुपये से अधिक न हो	60
(3)	6,000 रुपये से अधिक किन्तु 7,000 रुपये से अधिक न हो	84
(4)	7,000 रुपये से अधिक किन्तु 8,000 रुपये से अधिक न हो	108
(5)	8,000 रुपये से अधिक किन्तु 9,000 रुपये से अधिक न हो	132
(6)	9,000 रुपये से अधिक किन्तु 10,000 रुपये से अधिक न हो	176
(7)	10,000 रुपये से अधिक हो	250"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, 1970 का निरसन

8—उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (संशोधन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 129 जनरल (लेग०)—1970—1,830 (मे०)।